उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग–2

संख्या 2515/37–2–2013
लखनऊ : दिनांक 26 27 जून, 2013

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 13 मुस/सैंतीस–2–2013–1(45)/12 टीसी, दिनांक 15.05.2013 द्वारा प्रदेश में कुक्कुट विकास नीति– 2013 लागू कर दी गयी है। उक्त नीति को कार्यान्वित किये जाने के क्रम में व्यायसायिक कामर्शियल लेयर्स फार्म एवं ब्रायलर पैरेन्ट पक्षियों की यूनिट स्थापित करने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश शासनादेश सं0–2280/सैंतिस – 2–2013–1(45)/12, दिनांक 17 जून, 2013 भी जारी किया जा चुके हैं।

इस क्रम में कुक्कुट विकास नीति का क्रियान्वयन कुक्कुट विकास परिषद द्वारा किया जाना था, जिसकी संरचना में अभी कुछ समय लगना सम्भावित है। अतः कुक्कुट विकास नीति–2012 के क्रम में विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए तात्कालिक प्रभाव से पशुपालन निदेशालय में **कुक्कुट विकास प्रकोष्ठ** निम्न प्रकार गठित किया जाता है:–

1. डा0 ए0 यू0 किदवई, संयुक्त निदेशक, कुक्कट – टीम लीडर
2. डा0 जयकेश पाण्डेय, उप निदेशक, पशुपालन निदेशालय
3. डा0 वी0के0 सिन्हा, मुख्य तकनीकी अधिकारी, कुक्कुट

उपरोक्त प्रकोष्ठ निदेशक, पशुपालन के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगा। इस प्रकोष्ठ द्वारा कुक्कुट विकास नीति के अन्तर्गत उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाने वाली यूनिट्स में उनके समक्ष आने वाली कठिनाईयों को दूर करने का यथासम्भव प्रयास किया जायेगा। उद्यमियों को बढ़ावा देने तथा इस संबंध में जिला स्तरीय समस्याओं/कठिनाइयों को हल करना तथा इस नीति का प्रचार–प्रसार करना आदि प्रकोष्ठ का मुख्य उत्तरदायित्व होगा।

प्रदेश में कुक्कुट विकास परिषद की स्थापना के उपरान्त यह प्रकोष्ठ स्वतः परिषद में संविलीन हो जायेगा।

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या 2515 /37–2–2013 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(सुनील कुमार)
अनुसचिव